


पटवारी दायरा राजपुर ब्ला V/S राजपुर

मु.न. 92/2022 पुणे तिथि-4-10-22 निर्णय तिथि 27-6-23

27-6-23 आज पत्रावली चेक हुई। रिपोर्ट पटवारी दायरा अनुसार सैशेप में तट्ट निम्न प्रकार से है। कि गैर साफल राजपुर पत्र मोती जारि बंजरा निकाही राजपुर ब्ला ने ग्राम - राजपुर ब्ला के आराजी खसरा नम्बर 244/2303 रकबा 14.47 है ग्राम - बारागाह में 0.01 है पर पत्रावली प्रकाश बनाकर प्रकाश 2519 में अतिरिक्त कर लिया है। गैर साफल के विरुद्ध प्रकरण शकशकत से राजपुर आधी निम्न 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रिपोर्ट कर गैर साफल को जर्ने सम्बन्ध कर मोरिच क्रांति 1950 डिजांक 4-10-22 से तालक किया गया। गैर साफल का पत्रावली तालक शुचता के अनुपात में

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित एक पत्रावली पूर्व से रफ मिलान न 106/2020 दर्ज रिपोर्ट लेना प्रकाश होने पर शामिल पत्रावली की गई। जिससे कि मातृगीर्ण सिविल न्यायाधीश - मंडोदप राजपुर के पेट ले लगान अर्थात् है। शामिल मिलान की गई। गैर साफल को उक्त अतिरिक्त कर सम्बन्ध में पुनर् मोरिच जारी कर तालक किया गया गैर साफल की जोर से जवाब प्रदान कर विवेक किया गया कि ये धुम्पु जारी ले है। एवं मजदूरी कर लीक निकट कर है। कार्यवाही प्रकरण जोर परमाची जोर ले ले पूर्व से मातृगीर्ण सिविल न्यायाधीश मंडोदप राजपुर के पेट ले दर्ज वाद में शकशकत के सम्बन्ध में कोई आदेशिका जमा नहीं की गई। जाहिर है कि अब गैर साफल को किसी भी शकशकत न्यायालय से लगान (रैट) प्रकाश नहीं है। अतिरिक्त काबिल ख दखली है।

अतः गैर साफल को आराजी ख.न. 244/2303 रकबा 0.01 है ग्राम - बारागाह से बंजरा निकाही के अंश दिए जाते हैं।


तहसिलदार
राजपुर जिला अल्मर

कामगार


व तार
जम जो
की तारीख
पटवारी दायरा

एवं शाली शक्य 1200 कृषेय की 50 गुण
 50/ कृषेय कापस की जाती है। अ. अमिलिय प्रीशक
 पटवारी हल्का राधपुर 55 को बेदवारी एवं पैनारी
 कृषुली हेतु लिखा जावे। त. हलील राजक लेखका
 को राजक लेखों में मांग कापसी हेतु लिखा जावे,
 पत्रवली के लाल शुभार होकर गम्बर से कम है।

निर्णय आज दिनांक 27-6-2023 को
 मुख्यालय में सुनाया गया।

रा. नं. रा. 4 वर्ष. 2023-24
 मी. पृष्ठ संख्या. 37. प. नं. 50/-
 कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार


 तहसीलदार
 राजगढ़ जिला अलवर